प्रेस नोट **01.07.2022**

एक बोलेरो वाहन में लदी विभिन्न ब्राण्डों के 1920 शीशी (लगभग 02 लाख रूपये कीमती) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, वाहन सीज–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.06.2022 को थाना रामपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ढिलई बाग से एक बोलेरों वाहन (यूपी 50 एयू 4589) में लदी विभिन्न ब्राण्डों के 1920 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर दो अभियुक्तों आलोक कुमार पुत्र राजनारायण निवासी कोपागंज थाना कोपागंज तथा अनिल मिश्रा पुत्र स्व0 रमाशंकर मिश्रा निवासी राम कैथोली थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उक्त अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि बिहार में शराब बन्द है जिससे वहां शराब की मांग ज्यादा है यह शराब हमलोग बलिया के रास्ते बिहार में सप्लाई करने वाले थे जिससे हमे काफी रूपये मिलते। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद बोलेरों वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. आलोक कुमार पुत्र राजनारायण निवासी कोपागंज थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. अनिल मिश्रा पुत्र स्व0 रमाशंकर मिश्रा निवासी राम कैथोली थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक बोलेरों वाहन (यूपी 50 एयू 4589) में लदी विभिन्न ब्राण्डों के 1920 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 02 लाख रूपये)

02 किग्रा 250 ग्राम गांजा के साथ दो शातिर गिरफ्तार–

दिनांक 30.06.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ढेकुलियाघाट पुलिया के पास से अब्दुल्लाह उर्फ टाइमपास पुत्र रमजान, सद्दाम पुत्र एहसान निवासीगण हट्ठीमदारी थाना कोतवाली जनपद मऊ दोनो के कब्जे से क्रमशः 01 किग्रा 100 ग्राम व 01 किग्रा 150 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 323,324/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 01.07.2022 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मधुबन मोड़ बस स्टेण्ड के पास से मु0अ0सं0 728/21 धारा 279,337,338,427,304ए भदावि0 में वांछित अभियुक्त हरिशंकर पुत्र मिठाई लाल विश्वकर्मा निवासी बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 22 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 01.07.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा रविन्द्र गोड़, योगेश गौड निवासीगण अपडरिया, अनिल, सुधर्मी निवासीगण नगरीपार थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा राजकुमार निवासी नसीराबाद खुर्द थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रामभवन निवासी लैरोबेरूआर थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मो0 अली, मो0 यूसूफ निवासीगण बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रामसागर, श्यामा, धर्मी देवी, शीला देवी, मीना देवी निवासीगण ढाढाचवर, आदित्य कुमार सिंह निवासी बनियापार, रविन्द्र चौहान, संतोष चौहान निवासीगण इटौरा चौबेपुर, श्याम सुन्दर, गुड्डू निवासीगण कुतुबपुर सियाबस्ती, लल्लन राम, किरन देवी, रामेश्वर राम, शीला देवी निवासीगण गालिबपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र स्व0 विष्णू निवासी परदहा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।